

मेधावियों के जनसरोकार से जुड़े स्टार्टअप का सपना होगा साकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने **यूपी स्टार्टअप** के लिए 2.50 करोड़ बजट किया आवंटित

गजेंद्र पांडेय • जगराण

ग्रेटर नोएडा: जन सरोकार से जुड़े स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे छात्र-छात्राओं की राह में बजट की तंगी अब रोड़ा नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टार्टअप के लिए 2.50 करोड़ का बजट आवंटित कर दिया है। इच्छुक छात्र-छात्राओं को पांच सदस्यीय पैनल के सामने अपने स्टार्टअप और आइडिया का प्रदर्शन करना होगा। पैनल की सहमति की मुहर लगते ही स्टार्टअप शुरू कराने का सपना साकार होगा। प्रदेश के सभी 75 जिलों के छात्र-छात्राएं लायड स्थित यूपी स्टार्टअप केंद्र में स्टार्टअप शुरू करने आर्थिक मदद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योगी सरकार मेधावी छात्र-छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाकर बेरोजगारों को भी रोजगार उपलब्ध कराने यूपी स्टार्टअप के माध्यम से मंच प्रदान कर रहा है। इस वित्तीय वर्ष के लिए गौतमबुद्ध नगर के लायड इंस्टीट्यूट

ये मिलेंगी सुविधाएं

स्टार्टअप शुरू करने के लिए चयनित आवेदक को लायड संस्थान की तरफ से वर्किंग स्पेस, इंटरनेट, आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम, मीटिंग रूम, कांफ्रेंस हॉल, पर्सनल केबिन, कैफेटेरिया और रिसेप्शन प्रशिक्षित स्टूडेंट इंटरन्स द्वारा सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा।



- जिले में लायड इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बना यूपी स्टार्टअप क्लस्टर केंद्र
- सभी जिलों के विद्यार्थी स्टार्टअप शुरू करने आर्थिक मदद के लिए कर सकते हैं आवेदन

प्रशिक्षण व मेंटरशिप की सुविधा मिलेगी

लायड के निदेशक प्रो. डा. राजीव अग्रवाल का कहना है स्टार्टअप शुरू करने के लिए छात्रों के सामने यह सुनहरा अवसर है। इसके माध्यम से छात्र अपने विचारों को व्यावसायिक माडलों में बदलने के लिए संसाधनों और मार्गदर्शन से सुसज्जित हो सकेंगे। बताया कि प्रदेश के किसी भी जिले के विद्यार्थी यहां पर अपने स्टार्टअप की प्रस्तुति कर आर्थिक मदद के लिए आवेदन कर सकते हैं। लायड के सीईओ प्रो. डा. एसपी द्विवेदी का कहना है योजना से जुड़कर छात्र स्टार्टअप को सफल उद्यमों में बदल सकेंगे।

आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को यूपी स्टार्टअप का क्लस्टर केंद्र बनाया है। केंद्र को स्टार्टअप के लिए 2.50 करोड़ रुपये बजट भी जारी कर दिया है।

स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक मेधावी छात्रों के लिए यह सुनहरा मौका है। तय मानक पूरे करने पर

संस्थान मदद करेगा। पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए पांच सदस्यीय पैनल गठित किया जा रहा है, जिसमें तीन उद्योगपति, एक रिसर्च करने वाले और एक प्रोफेसर को शामिल किया जाएगा। स्टार्टअप के लिए आर्थिक मदद पाने के लिए आवेदक की कंपनी का पंजीकरण होना चाहिए।

पैनल के सामने छात्र को अपने स्टार्टअप और आइडिया को रखना होगा।

पैनल की सहमति मिलने पर आवेदक को पांच लाख से 30 लाख रुपये आवंटित कर दिये जाएंगे। योजना में जनसरोकार से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी।